प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

रिट याचिका (227) क्रमांक 725/2011

याचिकाकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, भिलाई ईस्पात संयंत्र , भिलाई

बनाम

उत्तरवादिगण कलेक्टर, दुर्ग और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

डॉ. एन.के.शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शैलेंद्र शुक्ला, याचिककर्ता की ओर से ।

श्री अजय द्विवेदी, उप-शासकीय अधिवक्ता,राज्य/उत्तरवादीगण नंबर 1 और 2 की ओर से ।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका

आदेश

(18 फरवरी, 2011 को पारित हुआ)

वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिकाकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके लाभार्थ अधिग्रहित की गई भूमि मूलतः स्व. श्री महादेव प्रसाद तिवारी की थी, जो वर्तमान में उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रमांक-3 श्रीमती गीता तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्वित है। इस रिट याचिका में प्रतिवादी क्रमांक-3 को देय वास्तविक प्रतिकर राशि के निर्धारण से संबंधित कार्यवाही में याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद , अधिनियम 1894') की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 20-05-1949 को प्रकाशित हुई थी, जबकि अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 25-01-1956 को प्रकाशित हुई थी । भू-अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवज़ा 3,582.60 रुपये तय किया, जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा एक रेफरेन्स में पारित आदेश द्वारा बढ़ाकर 28,356.25 रुपये कर दिया गया। मूल दावाकर्ता महादेव प्रसाद तिवारी ने उच्च न्यायलय में प्रथम अपील क्रमांक 124/1960 दायर की, जिसमें 15,874.37 रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की

गई थी। इस अपील को दिनांक 05-09-1969 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और कब्ज़ा लेने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुछ अतिरिक्त राशि की अनुमति दी गई। दिनांक 05-09-1969 के आदेश में सुधार के लिए एम.सी.सी. क्रमांक 413/1975 में प्रार्थना की गई थी। उक्त एम.सी.सी. को स्वीकार कर लिया गया और यह निर्देश दिया गया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पहले बढ़ाई गई राशि पर भी कब्ज़ा लेने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% की दर से ब्याज देय होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावाकर्ता द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही में, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक 30-09-1977 को एक आदेश (अनुलग्नक पी-3) पारित किया, जिसमें पक्षकारों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ब्याज की गणना करने के बाद राशि की एक सहमत गणना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश अनुलग्नक पी-3 में, भिलाई ईस्पात संयंत्र के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए और न्यायालय की सहायता की, जो आदेश के पैराग्राफ 3 में दर्ज है।

4. दावाकर्ता ने फिर से उच्च न्यायालय में विविध अपील क्रमांक 288/1977 दायर की, जिसमें निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30-09-1977 के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस बीच, अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कार्यवाही भी चल रही थी और अंततः विष्णु प्रसाद शर्मा और

अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, और मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विष्णु प्रसाद शर्मा और अन्य, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1593. इसके कारण एक वैधीकरण अधिनियम पास किया गया। विविध अपील क्रमांक 288/1977 को आखिरकार यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि दिनांक 30-09-1977 को निष्पादन न्यायलय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अधिनिर्णीत राशि पर ब्याज वैधानिक अधिनियम एक्ट की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसार मुख्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत सूचना के प्रकाशन के ठीक 3 साल बाद की तारीख से और कलेक्टर द्वारा धारा 11 के तहत दिए गए मुआवजे की तारीख तक या मुख्य अधिनियम की धारा 31 के तहत भुगतान की गई तारीख तक देय है। ब्याज की गणना मुख्य अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित बाजार मूल्य पर की जाएगी। (विविध अपील क्रमांक 288/1977 में 25-08-1983 के आदेश का पैरा 5)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 19-12-1986 को एक आदेश (अनुलग्नक पी-5) पारित किया, जिसमें कहा गया कि रुपये 36,267.75 पैसे की राशि के मुकाबले जिसका की दावाकर्ता हकदार है, उसे पहले ही रुपये 44,987.91 पैसे की राशि मिल चुकी है। हालांकि, निष्पादन न्यायलय ने दावाकर्ता/डिक्री धारक को अतिरिक्त राशि अपने पास रखने की अनुमति दी। इस आदेश को चुनौती देते हुए, दावाकर्ता ने

फिर से उच्च न्यायायले में विविध अपील क्रमांक 149/1987 दायर की, जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक पी-6 के रूप में संलग्न आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश को अपास्त करते हुए, मामले को 1894 के अधिनियम की धारा 34 के संशोधित प्रावधान के अनुसार ब्याज की गणना के लिए निष्पादन न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

6. ऐसा लगता है कि दावाकर्ता ने यह गणना पेश करके निष्पादन जारी रखी कि वह रुपये 23,06,795.63 पैसे की रकम का हकदार है (जैसा कि याचिकाकर्ता भिलाई ईस्पात संयत्र द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत पेश किए गए आवेदन के पैराग्राफ 7 में बताया गया है, अनुलग्नक पी-8) और निष्पादन न्यायालय ने भी निर्णीत-ऋणी, यानी मौजूदा प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2, कलेक्टर, दुर्ग और भू-अधिग्रहण अधिकारी, दुर्ग, के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला के अनुसार, चूंकि जमीन भिलाई ईस्पात संयत्र के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी और राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह दावा करने वाले को दिए गए मुआवजे की कोई भी रकम याचिकाकर्ता से वसूल करे, इसलिए याचिकाकर्ता एक ज़रूरी पक्षकार है और निष्पादन न्यायालय को उस सही रकम की गणना करने में मदद करने की अनुमति देनी चाहिए थी, जिसके लिए दावाकर्ता हकदार है, यदि

कोई हो। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निष्पादन न्यायालय के सामने सुनवाई का मौका चाहता है।

8. उत्तरवादी क्रमांक 03 की ओर से पेश हुईं विद्वान अधिवक्ता श्रीमती फौजिया मिर्जा और राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 01 और 02 की ओर से पेश हुए विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री अजय द्विवेदी ने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवकता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय की वर्ष 1997 से 2010 तक की आदेश की प्रति से यह साफ पता चलता है कि भिलाई ईस्पात संयत्र के विद्वान अधिवक्ता नियमित रूप से निष्पादन न्यायालय के सामने पेश हो रहे थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता मुआवज़े की रकम तय करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1894 की धारा 34 और 28 के संशोधित प्रावधानों के तहत ब्याज की गणना पहले ही उच्च न्यायालय ने विविध अपील क्रमांक 149/1987 (अनुलग्नक पी-6) में पारित अपने आदेश में तय कर दी है, इसलिए, निष्पादन न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि निष्पादन न्यायालय के सामने आवेदन और यह वर्तमान याचिका निष्पादन की कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए दायर की गई है, जो कि दशकों से लंबित है। श्रीमती फौजिया मिर्जा, प्रतिवादी क्रमांक 03 की विद्वान अधिवक्ता ने महुवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

म्युनिसिपैलिटी, महुवा बनाम मेहता किरीतकुमार उमेदचंद और अन्य, ए.आई.आर. 1973 गुजरात 97, श्री कन्याका परमेश्वरी देवास्थानम और चैरिटीज बनाम श्रीला श्री अंबालावाना पंडारा सन्नाधी और अन्य, ए.आई.आर. 1981 मद्रास 42, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रंगस्वामी और अन्य, ए.आई.आर. 1990 मद्रास 160, उड़ीसा राज्य भू-अधिग्रहण कलेक्टर, संबलपुर बनाम अमरेंद्र प्रताप सिंह और एक अन्य, ए.आई.आर. 1967 उड़ीसा 180, वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान और अन्य, ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1475, संतोष कुमार और अन्य बनाम सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और अन्य, ए.आई.आर. 1986 ए.आई.आर. एस.सी. 1164 और जया चंद्र मोहपात्रा बनाम भू-अधिग्रहण अधिकारी, रायगड़ा, (2005) 9 एस.सी.सी. 123 का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ को विस्तार से सुना और निष्पादन न्यायालय की आदेश की प्रति सहित अभिलेखों का परिशीलन किया। निर्विवाद रूप से, भूमि याचिकाकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई ईस्पात सयंत्र के लाभ के लिए अधिग्रहित की गई थी, जब राज्य के अलावा किसी अन्य लाभार्थी के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो मुआवज़े की रकम उस लाभार्थी को जमा करनी होती है, हालांकि यह रकम शुरू में राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान या निष्पादन न्यायालय के सामने दी जाती है। शायद इसी

विधिक स्थिति के कारण, भिलाई ईस्पात सयंत्र के अधिवक्ता को निष्पादन न्यायालय की मदद करने की अनुमति दी गई, जैसा कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा दायर लिखित कथन के पैराग्राफ 9 में बताया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने लिखित कथन के साथ एक दस्तावेज़ अनुलग्नक डी-4 भी दायर किया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08-07-2010 को अपर कलेक्टर को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि अपर कलेक्टर, दुर्ग ने अपने 05-05-2005 के पत्र द्वारा भिलाई ईस्पात संयंत्र को रुपये 10, 97,742/- की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, यह साबित होता है कि राज्य, एक तरफ निष्पादन न्यायालय के सामने पेश नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता से रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादी क्रमांक 03 के अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों का अवलंब लिया गया है, उनका मतलब यह है कि लाभार्थी एक हितबद्ध व्यक्ति नहीं है और लाभार्थी रिट याचिका दायर करके मुआवज़े की रकम को चुनौती नहीं दे सकता या निष्पादन न्यायालय डिक्री से भागे नहीं जा सकता, हालांकि, मौजूदा मामले में, तथ्य काफी अलग हैं। लाभार्थी न तो निष्पादन को चुनौती दे रहा है और न ही अधिनिर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार मुआवज़ा पाने के दावाकर्ता के हक का विरोध कर रहा है। उसका एकमात्र तर्क यह है कि दावाकर्ता ने वैधानिक

प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भिलाई ईस्पात संयत्र द्वारा पूर्व में भुगतान किये गए ब्याज रकम की सही गणना पेश नहीं की है। इसलिए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 03 जिस ब्याज का हकदार है, अगर कोई हो, तो उसकी सही गणना पेश करने के लिए सुनवाई का मौका दिया जाए।

11. जिस लाभार्थी के कहने पर और जिसकी कीमत पर ज़मीन ली गई है, उसके अधिकार के बारे में विधिक स्थिति अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम भोला नाथ शर्मा (मृत) द्वारा उत्तराधिकारी व अन्य (2011) 2 एस.सी.सी. 54 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नए निर्णय को देखते हुए अब अनिर्णित तर्क नहीं रही। यह मानते हुए कि ऐसा लाभार्थी अधिनियम, 1894 की धारा 3(ख) के अर्थ में एक "हितधारक व्यक्ति" है और इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष और रेफरेंस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने का हकदार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अपने कई पहले के निर्णयों का अनुसरण करने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम भोला नाथ शर्मा (मृत) एल.आर.एस. के पैराग्राफ 32, 42 और 43 में नियम अवधारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"32. धारा 50(2) नैसर्गिक न्याय के नियमों के एक पहलू का विधिक रूप है। इस धारा का मकसद स्थानीय प्रशासन या कंपनी को कलेक्टर या न्यायालय के सामने मुआवज़े की रकम तय करने के लिए होने वाली

कार्रवाई में हिस्सा लेने का मौका देना है और यह दिखाना है कि ज़मीन के मालिक का मुआवज़े के भुगतान का दावा विधिक तौर पर सही नहीं है या गलत है। यह तभी मुमकिन है जब कलेक्टर या संबंधित न्यायलय स्थानीय प्रशासन या कंपनी को नोटिस दे। अगर नोटिस नहीं दिया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन या कंपनी धारा 50(2) में दिए गए मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकती और मुआवज़े की रकम तय करने के लिए सबूत पेश नहीं कर सकती इसलिए, भले ही उस धारा की साफ़ भाषा में कलेक्टर या न्यायालय पर स्थानीय प्रशासन या कंपनी को पेश होने और सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी करने का कोई कर्तव्य नहीं डाला गया है, फिर भी उक्त शर्त को प्रावधान में निहित माना जाना चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ हो जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम यह अवधारित करते हैं कि:

(i) डी. डी. ए. अधिनियम के "स्थानीय प्रशासन " [धारा 3(अअ)] और "हित रखने वाला व्यक्ति" [धारा 3(ब)] की परिभाषा के अंतर्गत आता है;

(ii) डी.डी.ए. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के सामने हुई कार्यवाही में भाग लेने का हकदार था;

(iii) भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा डी.डी.ए. को नोटिस जारी न करना और ज़मीन मालिकों को देय मुआवजे की राशि तय करने के उद्देश्य से सबूत पेश करने का अवसर न देना, उसके द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के लिए घातक था;

(iv) डी.डी.ए. नोटिस और सबूत पेश करने के अवसर का हकदार था, इससे पहले कि रेफरेन्स न्यायालय अधिग्रहित भूमि का बाज़ार मूल्य बढ़ाए, जिससे प्रतिवादियों को ज़्यादा मुआवजे का दावा करने का अधिकार मिले और, क्योंकि रेफरेन्स न्यायालय द्वारा डी.डी.ए. को कोई सूचना या अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए उसके द्वारा दिए गए फैसले अमान्य माने जाने योग्य हैं;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने भी एक गंभीर त्रुटि की, जब उसने प्रतिवादिगण को देय प्रतिकर् की राशि को और अधिक बढ़ा दिया, जबकि उनके द्वारा डीडीए को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में न तो आवश्यक किया गया और न ही उसे सम्मिलित किया गया, जिससे की वह उच्चतर प्रतिकर प्रदान किये जाने की प्रार्थना का प्रतिवाद कर सके ।

43. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायलय की युगल पीठ का आक्षेपित निर्णय और साथ ही रेफरेन्स न्यायालय के निर्णय अपास्त किए जाते हैं और मामले रेफरेंस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। पक्षकारों को सुनवाई का मौका देने के बाद दोनों रेफरेन्स पर नए सिरे से निर्णय करने के लिए न्यायालय, जिसमें मुआवजे की रकम तय करने के मकसद से सबूत पेश करने का मौका भी शामिल होगा। रेफरेन्स न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय और इस निर्णय में दिए गए अवलोकन से प्रभावित हुए बिना मामले का निर्णय करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाभार्थी, यानी इस मामले में याचिकाकर्ता, के साथ भूमि अधिग्रहण अधिकारी के साथ-साथ निष्पादन न्यायलय के सामने कार्यवाही में हिस्सा लेने के अधिकार के संबंध में तय किए गए विधि को देखते हुए, जिसमें निश्चित रूप से संदर्भ न्यायालय का निष्पादन न्यायालय भी शामिल है, यह अवधारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय, यानी निष्पादन न्यायालय के सामने सुनवाई का अधिकार है, और उसे अपनी आपत्ति उठाने और दावाकर्ता द्वारा ब्याज की रकम के बारे में किए गए गणना पर सवाल उठाते हुए गणना पेश करने का भी अधिकार है, जिसके लिए उक्त दावाकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 हकदार है। इसलिए, निष्पादन न्यायालय को

याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद निष्पादन पर निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, निष्पादन कार्यवाही के लंबे समय से लंबित होने को देखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि निष्पादन न्यायालय इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि मिलने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके निष्पादन कार्यवाही का निराकरण करे।

13. रिट याचिका मंजूर की जाती है।

सही /-

प्रशांत कुमार मिश्रा,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.